हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰ / 2022 / Exam/ 561　　　　दिनांक : 07/ 04 / 2022

परिपत्र

विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थानों के केन्द्राध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी जा रही है समस्त सेमेस्टरों / वार्षिक प्रणाली परीक्षाओं के परीक्षार्थीयों के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि उक्त दिशा –निर्देशों को परीक्षार्थीयो को अवगत कराने के साथ ही पालन करवाने का कष्ट करें।

-Sd-
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः– 1:– समस्त केन्द्रध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर / समबद्ध महाविद्यालय एवं संस्थान।
2:– निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
3:– निजी सचिव, प्रति कुलपति, मा0 प्रति कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4:– निजी सचिव, कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
5:– उपकुसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी , परीक्षा एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
6:– गार्ड फाईल।

उपकुलसचिव, परीक्षा

हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

परीक्षार्थी के मार्ग दर्शन हेतु नियम

1. परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें।
2. परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मलित होते समय अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र साथ लायें। अवश्यकता पडने पर उसे दिखायेगें।परीक्षा कक्ष में लेखन सामग्री के अतिरिक्त कोई भी सामग्री लेना प्रतिबन्धित है।
3. परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमांक (Roll No.) नामांकन संख्या (Enrolment No.) इत्यादि ठीक से लिखें। बिना अनुक्रमांक के परीक्षा में सम्मिलित नही होने दिया जायेगा। नाम अथवा अन्य संकेत के आधार पर परीक्षा में सम्मलित नही किया जायेगा एवं उत्तर–पुस्तिका के किसी भी भाग पर परीक्षार्थी को अपना नाम नहीं लिखना है।
4. परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त एक घण्टे से पूर्व परीक्षा हाल नही छोडेगा। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व कोई भी परीक्षार्थी बिना कक्ष निरीक्षक की आज्ञा के अपना स्थान नहीं छोडेगा।
5. परीक्षा के कमरे में किसी भी परीक्षा सम्बन्धी पाठ्य–सामग्री (पुस्तक नोट्स) आदि का लाना वर्जित है। अगर किसी भी परीक्षार्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री प्राप्त होती है, तो उसको विष्वविद्यालय नियमानुसार दण्ड दिया जायेगा।
6. परीक्षा कक्ष में सुविधाओं एवं मैमोरीयुक्त किसी कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी । प्रश्न पत्र के अनुसार कैलकुलेटर का प्रयोग केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के पश्चात इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती हैं, कि कैलकुलेटर मैमोरीयुक्त न हो तथा किसी भी प्रकार का पूर्व डाटा संचित न हो। परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से कैलकुलेटर का विनिमय (आदान–प्रदान) की परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं होगी।
7. परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना तथा उसको प्रयोग करना प्रतिबन्धित है।
8. परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक को सौपने के पश्चात् ही कमरे से बाहर जायेगें।
9. छात्रों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने पर पुनः परीक्षाऐं नही कराई जायेंगी और न ही औसत अंक दिए जायेंगे अपितु इन छात्रों को परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा।
10. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष के अनुशासन में रहेंगे।
11. यदि किसी परीक्षार्थी ने किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तिका से नकल की है तो दोनो परीक्षार्थी को दण्ड दिया जायेगा।
12. परीक्षा कक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षकों के कहनें पर अथवा केन्द्राध्यक्ष या अन्य नियुक्त निरीक्षकों के कहने पर परीक्षार्थी को तलाशी देनी होगी। यदि तलाशी देने से इन्कार करता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया दण्ड मान्य होगा।
13. परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार जिन संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र अर्हता की शर्त के अनुसार पूर्ण न होने के कारण निरस्त कर दिये जाते है उनका शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न आगामी परीक्षा के लिए समायोजित / सुरक्षित किया जायेगा।
14. परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति अस्थायी (Provisional) मानी जायेंगी।
15. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में बहुमुल्य सामग्री ले जाना वर्जित हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री खोने पर परीक्षा केन्द्र जिम्मेदार नही होगा।
16. दिव्यांग परीक्षार्थी, केन्द्राध्यक्ष से यू0जी0सी0 के नियमानुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
17. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये कोविड नियमो का पालन करना होगा।
18. परीक्षा कार्यक्रम / परीक्षाफल विश्वविद्यालय वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर उपलब्ध होगा।

परीक्षा नियत्रंक

हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

अनुचित साधन सम्बन्धी निर्देश

परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दण्ड प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् है:–

1.प्रवेश–पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री पाये जाने पर जो कि प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित न हो।	यू0आर0–01 के अन्तर्गत कड़ी चेतावनी के साथ सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा।
2. प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित कोई भी सामग्री जिसका उपयोग प्रश्न–पत्र हल करने में सम्भवना हो, लेकिन उपयोग नहीं किया गया हो।	यू0आर0–02 के अन्तर्गत यू0एफ0एम0 की प्रथम उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन को निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के अंक देकर कड़ी चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित।
3. यदि परीक्षार्थी ने सम्बन्धित नकल सामग्री से नकल की हो।	यू0आर0–03 के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष / सेमेस्टर का पूरा परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा।
4. सम्बन्धित नकल सामग्री से नकल करने एवं प्रमाण नष्ट किये जाने का प्रयास करने या नष्ट करने पर।	यू0आर0–04 के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष / सेमेस्टर का पूरा परीक्षाफल निरस्त के साथ–साथ अगले वर्षों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होन से वंचित किया जायेगा।
5. परीक्षा कक्ष में निरीक्षक / अधिकारी / कर्मचारी अथवा किसी उड़न–दस्ते के सदस्य के साथ अभ्रदता, (गाली–गलौज या धमकी) मारपीट, हाथापाई करने पर।	यू0आर0–04 के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष / सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त के साथ–साथ अगले दो वर्षो तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा।

कैलकुलेटर एवं मोबाईल फोन के सन्दर्भ में निर्देशः–

1:–परीक्षा कक्ष में सुविधाओं एवं मैमोरीयुक्त किसी कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी । प्रश्न पत्र के अनुसार कैलकुलेटर का प्रयोग केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के पश्चात इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती हैं, कि कैलकुलेटर मैमोरीयुक्त न हो तथा किसी भी प्रकार का पूर्व डाटा संचित न हो। परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से कैलकुलेटर का विनिमय (आदान–प्रदान) की परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं होगी।

2:–परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना तथा उसको प्रयोग करना प्रतिबन्धित है।

परीक्षा नियत्रंक